सं०/No.6/4/2002-VS(CRS)-Genl.
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
तार : जनगणना / REGGENLIND Tele-fax : 6100678 E-mail – *rgsrs@ndb.vsnl.net.in*

दिनांक
dated the October २५, 2002

Circular No.3/2002

It has been observed that there is some confusion about to whom the certificate of cause of death is to be issued by the Medical Practitioners and who will submit such certificates to the registrars. In this connection, it may be clarified that under the provisions of Section 10(3) of the Registration of Births and Deaths Act,1969, the certificate of cause of death has to be issued by the Medical Practitioners to the informants responsible for reporting the events of births and deaths under section 8 or 9 of the Act who in turn will deliver the same to the registrar alongwith the death report form.

Further, it has been observed that in most of the cases of institutional deaths, the cause of death certificates and the related report forms are sent to the Registrars independently. Also in some cases the cause of death column in the death report form is left blank even when it is mentioned in cause of death certificate. As cause of death certificate is detached for independent processing, it is necessary to ensure that the underlying cause of death recorded in cause of death certificate is also noted in the death report form. Similarly it has been noted that all the causes of death given in the cause of death certificates are reproduced together in the death report from making it difficult to identify the exact underlying cause of death after the forms are separated. This results in inconsistent data on cause of death in areas where MCCD is in operation.

It is requested to kindly take note of the above points and inform all concerned to take appropriate precaution in this regard as suggested above. Please acknowledge the receipt of this circular.

J.K.Banthia
Registrar General, India

Copy to: 1. All Chief Registrars of Births and Deaths
2. All DCOs & JRGs

सं.6/4/02-जीवनांक (सी.आर.एस.)-सामान्य

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL,INDIA

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

(Government of India,Ministry of Home Affairs)

जीवनांक प्रभाग, वैस्ट ब्लाक-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक 25अक्तूबर, 2002

परिपत्र संख्या 3/2002

यह देखा गया है कि चिकित्सको द्वारा मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र किस व्यक्ति को जारी किया जाएगा तथा ऐसे प्रमाणपत्रों को कौन रजिस्ट्रारों को देगा, इस संबंध में कुछ भ्रांतियां व्याप्त है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 10 (3) के प्रावधानों के अधीन, चिकित्सकों द्वारा मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र इस अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु की सूचना देने के लिए उत्तरदायी सूचनादाता को जारी किया जाएगा जो मृत्यु रिपोर्ट फार्म के साथ इसे रजिस्ट्रार को देगा ।

इसके अलावा यह देखा गया है कि संस्थागत मृत्युओं के ज्यादातर मामलों में मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र और संबंधित रिपोर्ट फार्म रजिस्ट्रार को अलग से भेजे जाते हैं । साथ ही कुछ मामलों में मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण उल्लेख होने के बावजूद भी मृत्यु रिपोर्ट फार्म में मृत्यु के कारण के कालम को खाली छोड़ दिया जाता है । चूंकि मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र को स्वतंत्र रुप से डाटा प्रोसेसिंग के लिए मृत्यु रिपोर्ट फार्म से अलग कर लिया जाता है अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र में दिए गए मृत्यु के कारण को मृत्यु रिपोर्ट फार्म में भी दर्ज किया जाए । इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र में दर्ज मृत्यु के सभी कारणों को एक साथ मृत्यु रिपोर्ट फार्म में दर्ज कर दिया जाता है जिसके कारण फार्मों को अलग करने के पश्चात् मृत्यु के वास्तविक कारण की पहचान करना कठिन हो जाता है । इस कारण से जिन क्षेत्रों में मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण योजना लागू है वहां पर मृत्यु के कारण संबंधी आकंड़े त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए और इस संबंध में उपर्युक्त बताए गए सुझावों के अनुसार उपयुक्त सावधानी बरतने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए । कृपया इस परिपत्र की पावती सूचना भेज दें ।

(जयंत कुमार बांठिया)
भारत के महारजिस्ट्रार

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु
2. सभी निदेशक, जनगणना कार्य और संयुक्त महारजिस्ट्रार